... 43/2020 पुनमाराम बनाम रूपाराम को उक्त अनवान के साथ हमफिता किया गया।

वादी वकील प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन/तलबाना पेश करे, पेश करने पर जारी होकर पत्रावली वास्ते शेष पक्षकारान की तलबी एवं मौका रिपोर्ट का इंतजार होकर आईन्दा 04.06.2025 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

04.06.2025

पत्रावली पेश हुई।

वादी वकील अनुपस्थित। प्रतिवादी वकील उपस्थित।

आज न्यायालय समय में पृथक–पृथक तीन बार आवाजे दिलायी जाने एवं अदालत उठनें से पूर्व एक बार पुनः आवाज दिलवाई जाने के उपरांत भी वादीगण अथवा उनके वकील में से अथवा अन्य को प्लीडर उपस्थित नहीं होने से जाहिर होता है कि वे अपने वाद में पैरवी नहीं करना चाहते है, यदि पैरवी करते तो अवश्य ही उपस्थित रहते।

इसके अलावा प्रतिवादी वकील ने अपनी ओर से दलील देते हुए कथन किया कि पूर्व में भी कई बार उक्त प्रकरण पैरवी के अभाव मे, अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो चुका है तथा उनकी ओर से प्रस्तुत विचाराधीन अन्य प्रकरण सं. 43/2020 पुनमाराम बनाम रूपाराम जो कि राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सानुसार पृथक विभाजन का प्रस्तुत कर रखा है उसे मात्र विलम्ब कर उन्हें न्याय से परेशान की नीयत से यह वाद प्रस्तुत किया है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त वाद हाजरी के अभाव में खारिज करते हुए अन्य वाद सं. 43/2020 को पुनः हमफिता से पृथक करते हुए विभाजन की इस्तदुआ स्वीकार करते हुए विभाजन प्रस्ताव तलब किया जावे।

हमनें प्रतिवादी वकील की दलील पर पत्रावली का अवलोकन एवं उपलब्ध दस्तावेजो के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। चूंकि उक्त वाद में वादी वकील अथवा वादीगण स्वयं में से किसी के भी उपस्थित नहीं होने से वाद इसी स्तर पर अदम हाजरी में खारिज किया जाता है तथा पत्रावली के सलंग्न हमफिता पत्रावली संख्या 43/2020 को पृथक करते हुए उसे, उसके मूल स्वरूप में पृथक से सुनवाई में रखा जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:25:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner